न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद, जिला – प्रतापगढ

उपखण्ड अधिकारी – सुश्री सीमा खेतान (R.A.S.)

चरण संख्या – 01/19

दायर दिनांक :– 28.05.2019

निर्णय दिनांक :–

1.श्री भंवरलाल पिता भागीरथ जी जाति सांसरी आयु वयस्क
2.श्री रमेश पिता भागीरथ जी जाति सांसरी आयु वयस्क
3.श्री प्रकाश पिता भागीरथ जी जाति सांसरी आयु वयस्क
4.श्री बगदीराम पिता भागीरथ जी जाति सांसरी आयु वयस्क
5.मु. कंचन बेवा भागीरथ जी जाति सांसरी आयु वयस्क
सभी निवासीयान जाजली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ(राज.)

– अपीलान्ट

–:: बनाम ::–

1.श्री जुजार पिता शंकर जी जाति सांसरी आयु वयस्क
निवासी जाजली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ(राज.)।
2. श्रीमान तहसीलदार साहब, अरनोद जिला प्रतापगढ(राज.)।

– रेस्पोण्डेन्टस

अपील नामान्तरण सं. 125 को निरस्त किये जाने बाबत्

उपस्थित :– 1.श्री डी.एस. जोशी अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री अर्जुन वैष्णव अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय :–

अपीलान्ट ने अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के इस आशय की पेश है की अपीलान्ट की दादी सावित्रीबाई व रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पिता शंकर के सयुंक्त खातेदारी की आराजीयात ग्राम जाजली मे खाता संख्या 211 पर आ.न. 320,354,387,388,803 कुल किता 5 दर्ज सरकार है। चरण संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात का बटंवारा अपीलांट की दादी व रेस्पोडेन्ट एक के पिता के बीच मे खाते मे दर्ज अनुसार 1/2 हक हिस्सा जरिये बक्षीनामा किया गया और उक्त बक्षीनामे के आधार पर अपीलान्ट कि दादी सावित्रीबाई व रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पिता शंकर के बीच अपील की चरण संख्या 1 मे वर्णित आराजी मे 1/2 हक हिस्सा बराबर–बराबर किया गया,इन्तकाल न. 125 दर्ज अनुसार निम्न आराजी दर्ज कि गई है।

अपीलांट की दादी सावित्रीबाई के नाम निम्न आराजी

आराजी न.	रकबा
354/1	0.50है.
387	0.21है.
803/1	0.74है.

रेस्पोडेन्ट के पिता शंकर के नाम निम्न आराजी

आराजी न.	रकबा
320	0.40है.
354/2	0.47है.
388	0.29है.

		803/2	0.73है.
3	1.45है.	4	1.89है.

अपील मे वर्णित आराजी मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट का उक्त आराजी मे **1/2** हक हिस्सा है अपीलान्ट से भी 1/2 हक हिस्सा किया गया है परन्तु उक्त बक्षीसनामे से इन्तकाल सं. 125 से अपीलान्ट की दादी व रेस्पोडेन्ट के पिता शंकर के नाम से जो दर्ज आराजी दर्ज की गई तब आ.न. उक्त रेस्पोडेन्ट के पिता शंकर के नाम से दर्ज की, उक्त आराजी 320 मे 1/2 हक हिस्सा अपीलान्ट कि दादी सावित्रीबाई का था सेवन से दर्ज नही हुआ है इस कारणो से यह नामान्तरण संख्या 125 गलत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट की दादी व रेस्पोडेन्ट के पिता शंकर के नाम जरिये बक्षीसनामे से नामान्तरण संख्या 125 दर्ज किया है जो गलत है उसे निरस्त कर पुनः अपीलान्टस् व रेस्पोडेन्ट के नाम बक्षीसनामे अनुसार अपील मे वर्णित आराजी निम्नानुसार दर्ज कि जावें--

अपीलांटस् के नाम आराजी दर्ज कि जावे		रेस्पोडेन्ट संख्या एक के आराजी दर्ज कि जावे	
आराजी न.	**रकबा**	**आराजी न.**	**रकबा**
354/1	0.50है.	354/2	0.47है.
387	0.21है.	388	0.29है.
803/1	0.74है.	803/2	0.73है
320/1	0.20है.	. 320/2	0.20है
4	1.65है.	4	1.69है.

अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट दोनो ही चरण सं.4 मे वर्णित आराजीयात पर अपने दादीजी सावित्रीबाई व शंकर जी के समय से ही काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा इसी अनुसार आज भी मौके पर बटवारा भी कर रखा है। अपीलांट ने अपनी आराजी कि नकल दिनांक 14.5.2019 को ली तब जानकारी हुई कि बक्षीसनामे के अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार आराजीयात खाते मे दर्ज नही है तब अपीलांटस् ने दिनांक 15.5.2019 को इतंकाल कि नकल लेने हेतु आवेदन किया जिस पर नकल दिनांक 20.5.2019 को प्राप्त होने पर यह अपील अन्दर अवधि श्रीमान् के समक्ष पेश है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोण्डेन्ट को नोटिस जारी किये। रेस्पोण्डेन्ट मय वकील उपस्थित हुए। रेस्पोण्डेन्ट सं. 1 की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल फाईल किया गया।

पत्रावली बहस मे नियत की गई। वकील पक्षकारान कि बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की अपीलान्ट की दादी व रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता शंकर के संयुक्त खातेदारी की आराजी ग्राम जाजली पटवार हल्का जाजली मे खाता सं. 211 पर आ.न.320,354,387,388व803 कुल किता 5 दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात का बटवारा अपीलान्ट की दादी व रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता के बीच खाते दर्ज अनुसार1/2 हक हिस्सा जरिये बक्षीसनामा किया गया ओर उक्त बक्षीसनामे के आधार पर अपीलान्ट की दादी सावित्री व रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता शंकर के बीच उक्त आराजीयात का 1/2 हक हिस्सा बराबर बराबर किया गया परंतु इतंकाल न. 125 दर्ज अनुसार अपीलान्ट के नाम 354,387,803/1 कुल किता 3 कुल रकबा 1.45 है. दर्ज की एवं रेस्पोडेन्ट के पिता शंकर के नाम 320,354/2,388,303/2 कुल किता 4 कुल रकबा 1.89 है. दर्ज किया गया है। लेकिन बक्षीसनामे के उक्त सभी आराजीयात मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के बीच 1/2 हिस्सा अनुसार बटवार कर इन्तकाल खोला जाना था बक्षीसनामे के अनुसार आ.न. 320 रकबा 0. 40 है. अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जाना था लेकिन सहवन से आ.न. 120 रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज है

का इन्तकाल सं. 125 खारिज कर पुनः आ.न.120 रकबा 0.40 है. मे से अपीलान्ट के नाम 1/2 हिस्सा रहता है दर्ज करते हुए नामान्तरण खोला जावें।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे बताया की अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट आपस मे भाई बहन थे तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की विधवा बहन है। इसलिए दोनो भाई बहन के आपसी राजीनामे अनुसार उक्त कास्तकारी का बटवारा किया है। उक्त बटवारा श्रीमान तहसीलदार साहब के समक्ष आपसी सहमति से मौखिक बटवारा था तथा श्रीमान तहसीलदार साहब ने बटवारे का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। उक्त बटवारा आपसी सहमति से हुआ है। उक्त अपीलान्ट द्वारा अपील 30 वर्ष के बाद पेश कि है। जो कि इतनी देरी से अपील पेश करने का कोई ठोस कारण नही बताया है उक्त नामान्तरण सही व सत्य है अपीलान्ट के मन मे बदनियत आ जाने से उक्त अपील पेश की है जो खारिज योग्य है।इसके अलावा रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता क्षरा निवेदन किया गया की उक्त नामान्तरण पर माननिय न्यायालय को अपील सुननेका क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है क्योकि उक्त नामान्तरण तत्कालिन तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया था और तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरण पर अपील सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान जिला कलेक्टर अथवा अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को है। जिसके सम्बन्ध मे रेस्पोडेन्ट द्वारा कानुनी बिन्दु धारा 75, 76 एल.आर.एक्ट पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया और निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट खारीज की जावें।

वकील पक्षकारन की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया। सलंग्न दस्तावेज अनुसार उक्त इतंकाल संख्या 125 तहसीलदार अरनोद के द्वारा तस्दीक किया गया है। जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही है। अपील मयाद बहार होकर इन्तकाल की कार्यवाही सरसरी हो कर इसमे पक्षकारान के अधिकार स्थापित नही होते है और जिस नामान्तरण को तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया जाता उक्त के सम्बन्ध मे अपील सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान जिलाधीश महोदय, अथवा अतिरिक्त जिलाधीश महोदय, को है। अतः क्षेत्राधिकार के अभाव एवं मियाद बहार होने से अपील अपीलान्ट खारिज कि जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम है। निर्णय सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद